

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

आदेश

क्रमांक 1519 / गोपनीय / 2024
दो-2-7 / 57

जबलपुर, दिनांक 17 दिसम्बर, 2024

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, सुश्री वैशाली चौहान, ग्यारहवें व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, रतलाम के निवेदनानुसार, उनकी सेवा-पुस्तिका एवं सेवा अभिलेख में, उनकी शैक्षणिक योग्यता में LL.M. की उपाधि अंकित करने की अनुमति एतद्वारा प्रदान करता है।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,



(धरमिन्दर सिंह)

रजिस्ट्रार जनरल


पृष्ठांकन क्रमांक 1520 / गोपनीय / 2024
दो-2-7 / 57

जबलपुर, दिनांक 17 दिसम्बर, 2024

प्रतिलिपि:-

- 1 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 2 सुश्री वैशाली चौहान, ग्यारहवें व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, रतलाम को उनके आवेदन पत्र दिनांक 06.11.2024 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित।
- 3 रजिस्ट्रार (I.T.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 4 रजिस्ट्रार जनरल के निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
- 5 प्रशासनिक अधिकारी, पेन्शन/ शिकायत/ वेतन निर्धारण (राजपत्रित)/ अग्रिम/ अवकाश (राजपत्रित)/ सिविल चेकर/ क्रिमिनल चेकर, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को सूचनार्थ अग्रेषित।
- 6 जे.जे.ए., गोपनीय शाखा/ सीनियर कम्प्यूटर प्रोग्रामर असिस्टेंट, गोपनीय शाखा, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को क्रमशः सेवा-अभिलेख एवं वरिष्ठता सूची में आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

टिप्पणी :- रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्र. Reg (IT) (SA) /2018/368, दिनांक 01/03/2018 के तारतम्य में समस्त संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वे आदेश की प्रति डाउनलोड करें व तदनुसार आवश्यक कार्यवाही का पालन सुनिश्चित करें।



(धरमिन्दर सिंह)

रजिस्ट्रार जनरल